न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रानी जिला पाली

पीठासीन अधिकारी :–श्री रवि कांत सिंह (आर.ए.एस)
राजस्व विविध/अपील संख्या 03/2021
तारीख दायरा :– 01.01.2021
तारीख निर्णयः– 11/01/2022

अपीलान्ट्स

1. श्रवणसिंह पुत्र किशोर सिंह
2. जालमसिंह पुत्र किशोर सिंह
3. इन्द्रसिंह पुत्र किशोर सिंह
4. गीतादेवी पत्नि किशोर सिंह

तमाम वयस्क, जातिगण पुरोहित, निवासी ढारिया, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढारिया, तहसील रानी जिला पाली

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राज.अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री सुरेश मेहरा, अपीलान्ट् सख्या 01 की ओर से।
2. रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 11/01/2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढारिया तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 693 रकबा 0.1100 है. किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.1100 है, लगान रूपया 0.7700 कृषि भूमि अपीलान्ट्स संख्या 1,2,3 के पिता तथा 04 के पति श्री किशोर सिंह की खातेदारी एंव कब्जा–काश्त की विद्यमान है। अपीलांट्स के पिता व पति श्री किशोर सिंह का स्वर्गवास दिनांक 25.04.1994 को हो चुका है। अपीलान्ट्स के पिता व पति की मृत्युपरान्त अपीलान्ट्स सं.04 गीतादेवी द्ववारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी ढारिया को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर ग्राम पचायत ढारिया दवारा म्यूटेशन संख्या 388 दिनांक 17.05.2005 को स्वीकृत कर अपीलान्ट्स 01 से 04 को उक्त आराजी का खातेदार दर्ज किया, किन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट्स संख्या 01 का नाम सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकी अपीलान्ट्स की माता द्वारा प्रार्थना पत्र मे सेवन से त्रुटिवश सज्जनसिंह का नाम श्रवणसिंह लिख दिया था, जो कि त्रुटिवश हुआ है। अपीलान्ट्स का वास्तविक नाम सज्जनसिंह ही है और इसी नाम से सभी सरकारी दस्तावेज भी बनाए हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा सेवन से सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह नाम लिख दिया है जो कि गलत है।

अपील अपीलान्ट्स विरूध रेस्पोन्डेन्ट अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। वकील अपीलान्ट्स

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

द्वारा अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील अपीलान्ट्स ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स सज्जनसिंह की माता अनपढ है और वह स्वयं काम (रोजगार) के कारण मुम्बई रहता है। अतः नामान्तरकरण मे गलत नाम दर्ज होने की जानकारी उन्हे नही थी। अपीलान्ट्स द्वारा कृषि ऋण के आवेदन हेतु जब राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि निकाली गई तब उन्हे यह जानकारी हुई कि राजस्व रिकार्ड और विरासत नामान्तरकरण मे अपीलान्ट्स सज्जनसिंह का नाम श्रवणसिंह लिखा हुआ है। यह ज्ञात होने पर अपीलान्ट्स द्वारा यह नामान्तरकरण अपील दिनांक 30.12.2020 को मय प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम का पेश किया। अतः प्रार्पत्र धारा 05 भा. म्याद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अन्दर म्याद शूमार फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा आगे अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम ढारिया के खसरा नम्बर 693 रकबा 0.1100 है. किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.1100 है.,लगान रूपया 0.7700 कृषि भूमि अपीलान्ट्स के पिता स्वर्गीय किशोर सिंह की खातेदारी कब्जा काश्त विद्यमान है, अपीलान्ट्स के पिता, पति की मृत्यु दिनांक 25.04.1994 को हो जाने से दिनांक 17.05.2005 को विरासत नामान्तरकरण अपीलान्ट्स 01 से 04 का भरा गया। जिस में अपीलान्ट्स 01 का नाम सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह लिख दिया गया। अपीलान्ट्स 01 रोजगार के कारण मुम्बई में निवासरत है और उनकी माता अनपढ है जिस कारण उन्हे गलतनाम दर्ज होने की जानकारी नही हुई। ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा बिना विधिक नोटिस दिये, बाले बाले यह नाम. दर्ज किया, ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सूने एंव दस्तावेजो की जाच किये बिना ही यह नामान्तरकरण खोला गया जिससे कि अपीलान्ट्स 01 का नाम सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह लिख दिया गया। जबकी अपीलान्ट्स को सुने बिना, दस्तावेजो की जांच किये बिना, नामान्तरकरण खोलना न्यायसंगत नही है। अपीलान्ट्स 01 सज्जनसिंह का सभी सरकारी दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविग लाईसेंस, विद्यालय टि.सी में नाम सज्जनसिंह ही दर्ज है और यही इनका वास्ताविक नाम है। ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से और जानकारी के अभाव मे सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह नाम दर्ज किया है जो कि विधिविरूद्व है अतः रेस्पोन्डेंन्ट द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 17.05.2005 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत की और से अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि श्रवणसिंह एवम् सज्जनसिंह एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश सज्जनसिंह का नाम श्रवणसिंह दर्ज कर दिया था जो कि गलत है।

रेस्पोन्डेन्ट लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 09.02.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित न ही इनकी और से कोई वकील उपस्थित हुआ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

बहस सुनी गई, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा यह तथ्य दिनांक 28.12.2020 को ज्ञान में आया कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह है तो उनके द्वारा यह अपील अन्दर म्याद(दिनांक 30.12.2020 को) पेश की गई। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भा.म.अ स्वीकार कर अपील अन्दर म्याद शूमार की जाती है।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बिना विधिक कार्यवाही अपनाए और अपीलान्ट्स को सूने बिना नामान्तरकरण सं 388 दर्ज किया। अपीलान्ट्स संख्या 01 के अन्य सभी दस्तावेजो मे उसका नाम सज्जनसिंह दर्ज है किन्तु नामान्तरणकरण मे श्रवणसिंह लिखा गया है जो कि त्रुटिवश और बिना तथ्यो की जांच के कारण लिखा गया है।

आदेश

अतः अपीलान्ट्स की यह नामान्तरकरण अपील विरूद्व ग्राम पंचायत ढारिया अन्तर्गत धारा 75 भू.रा.अ स्वीकार कर ग्राम पंचायत ढारिया के नामा. सं 388 दिनांक 17.05.2005 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति, प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी से संबंधित समस्त हितबद्ध पक्षकारो को साक्ष्य और सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नामान्तरकरण दर्ज करे। अपीलाधीन नामान्तरकरण से संबंधित दस्तावेजो का सम्यक रूप से परीक्षण किया जावे एवं संबंधित हितबद्व पक्षकरो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

11/01/22

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी रानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) रानी

निर्णय आज दिनांक11/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी रानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) रानी